उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 219/VII-II/140-उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः 4 फरवरी, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 766/उ0नि0(पाँच)–मेगा प्रोजेक्ट/2008–09 दिनांक 22 मई, 2008 के सन्दर्भ में मै0 मुक्त इलेक्ट्रोनिक्स लि0 (यूनिट–2) के पक्ष में ग्राम मुण्डियाकी तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित कुल 7.16619 एकड़ भूमि को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)
ग्राम–मुण्डियाकी, तहसील रूड़की,	399 से 401, 405 से 410	7.16619

2– उक्त तालिका में अंकित खसरा संख्या भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-C Industrial Activity in Non Industrial Area (To be Notified along with Extension) के अधीन क्रमांक–9 पर अधिसूचित हैं तथा जिसे अधिसूचना संख्या–27–27/2005–सी0ई0 दिनांक 19 मई, 2005 के एनेक्चर–2 में Industrial Activity in Non-Industrial Area के रूप में प्रतिस्थापित किया जा चुका है, में स्थापित उद्योग के पर्याप्त विस्तार अथवा नये उद्योग की स्थापना पर **(नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर)** भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग वाशिंग मशीन एवं दिकाऊ उत्पादों के विनिर्माण उद्योग तथा उसके वांछित आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना के लिये किया जायेगा।

6– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

7– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/

अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

8– कम्पनी उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की क्रय विलेख पत्र (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों तथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अभिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या:2184 (1)/VII-II-/140–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 मृक इलेक्ट्रोनिक्स लि0 (यूनिट–2), ग्राम मुण्डियाकी तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अभिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा) 3/2
प्रमुख सचिव।